न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 02/2016
जी.सी.एम.एस. नं.: 2016/00020

1. दम्मन सिंह पुत्र वक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी 37 जीवी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र दूलाराम जाति वाल्मिकी निवासी 4 एएस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. जंगीर सिंह पुत्र भान सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एएस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–
1. **श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री प्रेम चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 2**
3. **राजपैरोकार**

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक : 19.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 4ए.एस. का मु.न. 30 प.न. 182/434 का कि.न. 7 ता 14, 20/1 का 2.606 है. भूमि खातेदारी इसी चक में प्रार्थी की अन्य भूमि के साथ है। भूमि का प्रार्थी अकिंत खातेदार है प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित रकबा के साथ चिपता हुआ किला नं. 6 व 15 में चक 4ए.एस. की आवादी भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थी के साधिकार कब्जा काश्त में निरन्तर चली आ रही है प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के किं.न. 7 व 14 के साथ चिपता हुआ किल. 6 व 15 में आवादी भूमि स्वीकृत है एव उक्त आवादी में अप्रार्थीगण सं. व. 2 के परिवारो के पास कब्जाशुदा भूखण्ड है जिसमें अप्रार्थीगण अव ओर निर्माण कर रहे है अप्रार्थीगण के मन में अपने आवादी के आहता में निर्माण करने के समय लालच व बेईमानी आ गयी व अप्रार्थीगण के द्वारा अपने आहता का साईज बढ़ाने के लालच से प्रार्थी की खातेदारी भूमि के कि.न. 7 व 14 में करीव 10–15 फुट अन्दर की तरफ बढकर निर्माण सामग्री रखकर निर्माण करवाया जाना प्रारम्भ करने लगे जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर उन्हे समझाया कि यह प्रार्थी की खातेदारी भूमि है आप प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो का किसी प्रकार हनन नहीं करे व जब तक सक्षम अधिकारीध्कर्मचारी के द्वारा [illegible] नहीं दी जाती है तव तक आप किसी प्रकार निर्माण आदि नही करे उस वक्त तो अप्रार्थीगण मान गये व निर्माण नही किया किन्तु निर्माण सामग्री बजरी, रेत आदि जो वहाँ रखी थी को हटाने के लिए कहने पर अप्रार्थीगण ने वहाँ से निर्माण सामग्री को नहीं हटाया व गुपचुप तरीके से निर्माण करने का प्रयास करने लगे जिस पर प्रार्थी को उक्त बात की जानकारी होने पर प्रार्थी ने दिनांक 20.12.2015 को मौतबीरान व्यक्तियों को साथ लेकर एक पंचायत की व अप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कोई निर्माण सामग्री नहीं रखने व किसी प्रकार का निर्माण आदि करके

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिक्रमण नहीं करने व जो कुछ अतिक्रमण प्रार्थी के रकबा में अप्रार्थीगण ने कर लिया है को तुरन्त हटा लेने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की बात मानने से इन्कार करते हुए ऐलानिया धमकी दी कि वे प्रार्थी की भूमि पर किये अतिक्रमण को न तो हटायेगे और न ही वहाँ से अपनी निर्माण सामग्री ही हटायेगे और गुपचुप तरीको से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में निर्माण करने की भी धमकी दी बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। प्रार्थी चक 4 ए.एस. का मु.न. 30 प.न. 182/434 का किन. 7 ता 14, 20/1 का 2.606है. का अकिंत खातेदार है एंव अपने खातेदारी अधिकारो की संसुरक्षा के लिए वाद लाने के विधिक अधिकारी है अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रार्थी की खातेदारी भूमि के कि.न. 7 व 14 के कुछ भाग पर जबरन काबिज होना चाहते है व इसी प्रयास में कुछ भाग पर गुपचुप तरीके से अतिक्रमण कर भी लिया है तथा और आगे बढने की फिराक में है इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थी को प्रार्थी की कब्जा काश्त एंव खातेदारी अधिकारो की भूमि से जबरन विधि विरूद्व तरीके से बलपूर्वक बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए, विधिक प्रक्रिया का पालन किये प्रार्थी को खातेदारी भूमि से महरूम एंव बेदखल करना चाहते है एंव स्वय उस पर काबिज होकर अवैध निर्माण करना चाहते है जिसके अप्रार्थीगण धमकीया दे रहे है जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कि.न. 7,14 में करीब 5–7 फुट जगह पर निर्माण सामग्री आदि डालकर व अन्य प्रकार से अतिक्रमण गुपचुप तरीको से कर लिया है उक्त जगह पर अप्रार्थीगण को अतिकमी मानते हुए वहाँ से हटाया जाकर कब्जा भूमि प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण अपने उक्त विधि विरूद्व कृत्यो में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारो का हनन होगा एंव प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारो की भूमि से महरूम एंव बेदखल जबरन होना पडेगा जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एंव पक्षकारान के मध्य विवाद बढेगा, काश्त आदि में भारी असुविधा होगी जबकि अप्रार्थीगण को वाद के अन्तिम निस्तारण तक विवादित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण आदि करने या निर्माण सामग्री या अन्य प्रकार की सामग्री डालकर काश्त में बाधा पहुँचाने से बाज रहने हेतु पाबन्द किया जाने पर अप्रार्थीगण के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसके विपरीत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से यदि पाबन्द नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी अधिकारो की भूमि पर जबरन काबिज हो जावेगे व प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि से महरूम एंव बेदखल होना पड़ेगा जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व निर्माण सामग्री रखे जाने से भूमि की किस्म भी पथरीली हो जाने से काश्त योग्य नहीं रह जावेगी जिससे काश्त में भारी असुविधा होगी इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एंव पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर होकर अन्दरमियाद पेश है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारो की भूमि चक 4ए.एस. का मु.न. 30 प.न. 182/434 का कि.न. 7 ता 14, 20/1 का 2.606 है. भूमि या इसके किसी भाग पर स्वंय या अपने किसी हित प्रतिनिधि के माध्यम से या अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसीप्रकार का निर्माण करने, निर्माण सामग्री आदि रखकर या अन्य प्रकार से काश्त मे बाधा पैदा करने से बाज एंव ममनू रखे जाने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1–2 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मु.नं. 30 प.नं. 182/434 के किला नं. 7 व 14 के कुछ भाग पर आबादी है। 6 व 15 में कोई आबादी नहीं है। चक 4 ए.एस. का मु.नं. 30 प.नं. 182/434 के किला नं. 7 व 14 में आबादी भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के पिता दुलाराम के नाम से व अप्रार्थी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

रोज तक अप्रार्थीगण वदस्तूर उक्त मकानों में मय परिवार रिहायश करते आ रहे है। प्रार्थी द्वारा मद संख्या 4 में प्रार्थी द्वारा यह वर्णित किया गया है कि अप्रार्थीगण किला नं. 7 व 14 में 10–15 फुट अन्दर की तरफ निर्माण सामग्री रख कर निर्माण करवाया जाना प्रारम्भ करने लगे और मद संख्या 5 में प्रार्थी लिख रहा है कि 5–7 फुट जगह पर निर्माण सामग्री रख कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रार्थी क्लीन हैण्ड न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। इसलिए सही स्थिति न्यायालय के समक्ष न्यायालय के समक्ष न रखने की सूरत में प्रार्थी किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्ति का हकदार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता दुलाराम व अप्रार्थी संख्या 2 जंगीर सिंह के नाम से चक 4 ए.एस. का मु.नं. 30 प.नं. 182/434 के किला नं. 7 ता 14 के कुछ भाग पर आबादी भूमि है उस आवादी भूमि में दुलाराम व जंगीर सिंह के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा उनको पट्टे काट कर दिये हुए है। जो करीव 25 वर्षो से लगातार मकान बनाकर मय परिवार रिहायश करते आ रहे है। प्रार्थी के मन में अचानक लालच जाग गया है। और वह गलत तथ्य बताकर न्यायालय में यह दावा पेश किया है। उक्त वाद हेतु जो कि दिनांक 20.12.2015 को उत्पन्न हुआ था कि अप्रार्थीगण निर्माण सामग्री रख कर निर्माण करवाया जाना आरम्भ कर रहे है। चूंकि इस स्थिति को बीते 9 वर्ष हो चुके है। इसलिए यह वाद पत्र व प्रार्थना पत्र उद्देश्यहीन हो चुका है और आज मौके की स्थिति में कई परिवर्तन हो चुके है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र का कोई महत्व नहीं रह गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में काफी विरोधाभास है। मद संख्या 4 में लिखते है किला नं. 7 व 14 में 10–15 फुट पर निर्माण सामग्री रख कर निर्माण कार्य आरम्भ करवाया जा रहा है और मद संख्या 5 में लिख रहे है कि गुपचुप तरीके से अतिक्रमण कर लिया है। प्रार्थी क्लीन हैण्ड न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। इसलिए प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्ति का हकदार नहीं है। वर्ष 2014 में दुलाराम व जंगीर सिंह के द्वारा ग्राम न्यायालय अनूपगढ़ के समक्ष इसी उक्त वर्णित दमन सिंह की खातेदारी कृषि भूमि प.नं. 182/434 किला नं. 7 व 14 में अतिक्रमण व निर्माण कार्य नहीं करने के सम्बन्ध में एक वाद माननीय ग्राम न्यायालय अनूपगढ द्वारा दिनांक 10.02.2017 को तीनों पक्षकारों के आपसी राजीनामें से इसी समान विषय को समान पक्षकारों के मध्य इसी उक्त वर्णित बिन्दू को निस्तारित किया जा चुका है। इसलिए इस वाद एवं प्रार्थना पत्र पर धारा 11 सी.पी.सी. पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होता है। जब समान विषय चक 4 ए.एस. का मु.नं. 30 प.नं. 182/434 के किला नं. 7 व 14 में निर्माण व कब्जा करने के सम्बन्ध में निर्णय हो चुका है। उन्ही तथ्यों पर वाद का वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. के तहत प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। मौके पर किला नं. 7 व 14 के कुछ भाग पर आबादी भूमि है जिसमे हमारे पट्टे कटे हुए हुए है। हम अप्रार्थीगण मय परिवार निवास करते आ रहे है। यदि हमें पट्टे शुदा एवं वैध रूप से बैठे हुए को गलत तथ्वों के आधार पर बेदखल किया जाता है तो हमारे विधिक अधिकारों का हनन होगा हमें अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज फरमाने योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थना [illegible] रिज किये जाने योग्य है।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 4 एएस की आबादी भूमि है, जिसमें अप्रार्थीगण के मकान बने हुए है, अब अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गयी है जिससे वे अपना अहाता की [illegible] बढ़ाने के उद्‌देश्य से लालचवश प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है जिस कारण वह अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:03 IST
Reason: SelfAttested

नहीं की जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 4 ए.एस. का मु.नं. 30 प.नं. 182/434 के किला नं. 7 व 14 में आबादी भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के पिता दुलाराम के नाम से व अप्रार्थी संख्या 2 जंगीर सिंह के नाम से चक 4 ए.एस. में पट्टे काटे हुए है। तब से लेकर आज रोज तक अप्रार्थीगण बदस्तूर उक्त मकानों में मय परिवार रिहायश करते आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद् सं. 4 व 5 के वर्णित अभिकथन विरोधाभासी है। प्रार्थी सद्भावी नहीं है न ही क्लीनहैण्ड से न्यायालय में आया है। पूर्व में माननीय ग्राम न्यायालय अनूपगढ द्वारा दिनांक 10.02.2017 को राजीनामा आधार पर इन्हीं तथ्यों पर आधारित वाद प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है। ऐसे में प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति में विचारण योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन कियां।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति जमाबंदी चक 4 एएस खाता सं. 1 अनुसार मु.नं. 30 प.नं. 182/434 कि.न. 6 व 15 प्रत्येक 0.253है. भूमि गै.मु. आबादी दर्ज है। जमाबंदी संवत 2070–2073 चक 4 एएस खाता सं. 16 अनुसार दमण सिंह के नाम से प.नं. 182/434 मु.नं. 30 की 2.606हे. नाली कमाण्ड भूमि खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे है, जिसके कारण प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थीगण के द्वारा छायाप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 10.02.2017 माननीय ग्राम न्यायालय अनूपगढ़ प्रकरण सं. 37/2014 दुलाराम आदि बनाम दमन सिंह व प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा, प्रकरण में प्रस्तुत सर्वे निरीक्षण रिपोर्ट एवं छायाप्रति पट्टा प्रस्तुत की जिनका अवलोकन किया गया। माननीय ग्राम न्यायालय द्वारा प्र.सं. 37/14 पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर खारिज किया गया है, राजीनामा में वर्णित है कि दमन सिह दुलाराम, जंगीर सिंह के मकानों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दुलाराम, जंगीर सिंह अपने निर्मित मकानों के अलावा पश्चिम दिशा में स्थित दमन सिंह की खातेदारी भूमि प.नं.182/434 कि.नं. 7, 14 में निर्माण नहीं करेगें ना ही उसमें कोई कचरा, रूड़ी, गन्दा पानी वगैरह डालेंगे।

5. प्रार्थी अप्रार्थीगण को अपनी भूमि पर अतिक्रमी घोषित करवा बेदखल करवाने अथवा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं का निर्णय मूल वाद में वाद बिन्दु कायम कर उभयपक्ष से साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त गुणावगुण पर किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बगैर मात्र अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में निर्णय पारित किया जाना है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र में अभिवचन अंकित किये है कि "प्रार्थी की भूमि के किं.न. 7 व 14 के साथ चिपता हुआ किल. 6 व 15 में आबादी भूमि स्वीकृत है [illegible] अप्रार्थीगण सं. व. 2 के परिवारो के पास कब्जाशुदा भूखण्ड है जिसमें [illegible] अब ओर निर्माण कर रहे है अप्रार्थीगण के मन में [illegible] निर्माण करने के समय लालच व बेईमानी आ गयी व अप्रार्थीगण के द्वारा अपने आहता का साईज बढ़ाने के लालच से प्रार्थी की खातेदारी भूमि के कि.न. 7 व 14 में करीब 10–15 फुट अन्दर की तरफ बढकर निर्माण सामग्री [illegible]कर निर्माण करवाया जाना प्रारम्भ करने लगे।......अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन काबिज होना चाहते है।" अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत छायाप्रति दस्तावेज मा. ग्राम न्यायालय अनूपगढ़ के प्रकरण सं. 37/14 के अवलोकन के स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के परिवार और प्रार्थी के मध्य पूर्व में इन्हीं तथ्यों को लेकर विवाद रहा है, जो कि पूर्व में राजीनामा आधार पर वाद पत्र खारिज हो चुका है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:03 IST
Reason: SelfAttested

में वर्णित अभिवचनों के संबंध में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वे प्रमाणित होते हो। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

–: आदेश :–

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:03 IST
Reason: SelfAttested